

17. 1754 तक कार दुवारा सम्य समग्र पर ही का आदेश जारी किये जायें, संस्था इसका वातन करेगी ।

18. विद्यालय का रिजर्व निधारित प्रमाण/प्रमाणों में रखा जायेगा

19. इसल यहाँ/ में राज सरकार के प्रमाण/प्रमाणों के बिना कोई प्रमाण/प्रमाण या परिष्कृत नहीं दिया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध अदि की होना कि लम्बवत दिने जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि -

11. विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक/अध्यापिकायें प्रमाणित तथा सई है ।

12. कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकायों की मानकानुसंग नियमित वेतन बैंड के माध्यम से दिया जा रहा है ।

13. विद्यालय में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकायों की सेवा नियमनको तदनुसार सही नई दिनांक की प्रदर्श निषेधावली के अनुसंग कराई गई है ।

14. पंजीकरण तथा काशनमनी के निषिद्ध प्रे में कोई सुन्दर नहीं किया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का वातन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्य यह वाता आता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का वातन नहीं किया जा रहा है जयका वातन करने में किसी प्रकार की चूक या किस्मिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापारित प्रमाण पर वायस हो दिया जायेगा ।

समधीय,


अज्ञात कार्यवाही
उप लक्षित ।


सं० 11/15-7-1995 तर्जिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनार्थ एवं आखण्ड कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, गजनऊ ।
- 2- समधीय उप शिक्षा निदेशक कुनारु गजनू नैनीताल ।
- 3- जिला शिक्षाक निरीषक नैनीताल ।
- 4- निरीषक, जिला भारतीय विद्यालय उजुग गजनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, गेदर गजनू गज बाब विद्या संस्थान नैनीताल ।


Manager
M.L. Sah Bal Vidya Mandir
Nainital


Principal
M.L. Sah Bal Vidya Mandir
NAINITAL